श्री सभापति: मैंने कह दिया न, कि मैं आज सब को छूट दे रहा हूं। याद है कि आपने किस पर दिया है।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: सभापति जी, मैंने दो-दो मुद्दे दे रखे हैं आपके सामने।

श्री सभापति: वूमेन रिजर्वेशन।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: सभापति जी, मेरा पहला मुद्दा तो यह था और मैं सदन के इस मंच से लगातार पिछले कई वर्षों से इस बात को उठाती रही हूं कि हमारे जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं उनके पुनर्विन्यास की मांग ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: एक ही मामला उठाएंगी न?

श्रीमती सरला माहेश्वरी: नहीं, अभी आपने कहा दोनों उठाओ।

श्री सभापति: एक मामला ...(व्यवधान)... दीपांकर जी से फैसला करा लीजिए कि दो एलाउ करना है या एक एलाउ करना है।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: सभापति जी, आपने कहा कि आज जो आप मामला उठाना चाहती हैं वह उठा सकती हैं।

श्री सभापति: दोनों में से जो एक अच्छा हो वह बोल लें।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: सभापति जी, आज आपने कहा कि जो बोलना चाहती हैं आप बोलने के लिए स्वतंत्र हैं।

श्री सभापति: एक मामला उठा लो।

Reorganisation of Rural Banks

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल): सभापति महोदय, मैंने जिस मसले पर शुरु कर दिया है, उसी मसले पर फिर से इस सदन का और आपका भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। जिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्विन्यास की मांग मैं लगातार सदन के इस मंच से पिछले कई वर्षों से उठाती रही हूं लेकिन दुर्भाग्य से मेरी आवाज नक्कारखाने में तूती की आवाज बनकर रह गयी है। पिछली सरकार ने इस ओर कतई ध्यान नहीं दिया और अब मैं नयी सरकार से आशा करती हूं कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मांग है और पिछले कई अरसे से जो उदारीकरण की नीतियां, निजीकरण की नीतियां अपनायी गयीं, उन नीतियों के चलते सबसे ज्यादा विपन्न हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था हुई है और इसके चलते हमारे किसान किस दुरावस्था में रह रहे हैं, किसानों की आत्महत्याओं की घटनाएं हम सुनते रहे हैं इसलिए यह जरूरी है कि आज अगर हम अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं तो हमें अपनी बैंकिंग की व्यवस्था में सुधार लाना होगा

और इस बैंकिंग की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारी बैंकिंग, गांवों में से धन की निकासी करके हमारे गांव, जो शहर का उपनिवेश बनते जा रहे हैं, उस प्रक्रिया को बदला जाए और जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, उनका राज्य स्तर पर एवं जोनल स्तर पर पुनर्गठन किया जाए और अखिल भारतीय स्तर पर एक राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक हो जो कि उनका संचालन करे।

(श्री उपसभापति पीठासीन हुए)

इसके साथ साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के जो कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों की प्रोन्नति की पूरी व्यवस्था की जाए। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगी कि कृपया मेरी इस मांग पर वे तवज्जह दें और माननीय वित्त मंत्री जी से यह कहें कि उनकी यह मांग जायज मांग है, उस पर शीघ्रता से अमल करें। सरकार अपनी हिस्सेदारी को कतई कम न करे, स्पॉन्सर बैंकों के साथ इस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय कतई न करे। महोदय, अब मैं दूसरा मुद्दा लेना चाहती हूं।

श्री उपसभापति: नहीं, एक ही मुद्दा लेना था।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: सर, मैं चाहूंगी कि संसदीय कार्य मंत्री जी इस पर कुछ कहें।

कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): आदरणीय उपसभापति महोदय, माननीय सदस्य सरला जी ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से संबंधित जो मुद्दा उठाया है और सदन का ध्यान आकर्षित किया है, उनकी भावनाओं से मैं माननीय वित्त मंत्री जी को अवगत करा दूंगा।

Irregular Hoisting of National Flag

श्री कृपाल परमार (हिमाचल प्रदेश): धन्यवाद उपसभापति महोदय। महोदय, 16 अप्रैल 2005 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति श्री परवेज़ मुशर्रफ का भारत आगमन हुआ। जैसे ही उनका जहाज भारत की सरज़मी पर जयपुर में उतरा, लोगों की नजरें बरबस उनके हवाई जहाज पर लगे हुए तिरंगे पर टिकी। पाकिस्तान के राष्ट्रपति, जो भारत के साथ संबंधों को सुधारने की दृष्टि से क्रिकेट मैच देखने आ रहे थे, उनके जहाज पर उल्टा तिरंगा लहरा रहा था। हालांकि सरकारी तौर पर भारत सरकार और पाकिस्तान की सरकार के मध्य इस पर चर्चा हुई है लेकिन इस मसले पर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि क्या यह महज इत्तफाक है या पाकिस्तान, जिसके साथ भारत के बहुत बढ़िया संबंध नहीं हैं और आजकल पाकिस्तान के साथ संबंधों को सुधारने की ओर दोनों देश अग्रसर हो रहे हैं, क्या इस प्रयास को sabotage करने के लिए सोची-समझी साजिश तो नहीं है? महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि यह एक राष्ट्रीय सम्मान का मसला है और इसको पाकिस्तान के साथ बढ़ते